

12-11-2016

COURT

आवेदक मुकेश सहित श्री हृदेश शुक्ला अधि०।
अनावेदिका श्रीमती सुमन सहित श्री जी०एस०गुर्जर
अधिवक्ता।

प्रकरण लोक अदालत में राजीनामा हेतु पेश हुआ।
प्रकरण में आवेदक की ओर से आदेश 23 नियम 1
जा०दी० का आवेदनपत्र लंबित है, जिसमें आवेदक ने
आपराधिक प्रकरण के कारण याचिका वापिस किए जाने का
निवेदन किया है।

आज अनावेदिका श्रीमती सुमन ने उपस्थित होकर
अपने पति मुकेश साथ रहना व्यक्त किया और उसे
आवेदक के साथ भिजवाये जाने का निवेदन किया।

बाद विचार उपरोक्त परिस्थितियों में प्रकरण का
निराकरण नेशनल लोक अदालत में समझौता के आधार पर
निराकृत नहीं हो सकता है।

अतः प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु
दिनांक-15/11/2016 को पेश हो।

(पी.सी. आर्य)

पीठासीन अधिकारी, खण्डपीठ क.-20,
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

(के०सी० उपाध्याय)
(सदस्य)

खण्डपीठ क.-20
गोहद जिला भिण्ड

(के०पी० राठौर)
(सदस्य)

खण्डपीठ क.-20
गोहद जिला भिण्ड

पुनश्च-

आवेदक मुकेश द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधि०।
अनावेदिका श्रीमती सुमन द्वारा श्री जी०एस०गुर्जर
अधिवक्ता।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं ने मौखिक रूप से निवेदन
किया कि आज ही उक्त प्रकरण का निराकरण नेशनल
लोक अदालत में कर दिया जावे। आवेदक अधिवक्ता का
विशेष निवेदन है कि वह इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना
चाहते हैं। अतः उभयपक्ष अधिवक्ताओं के विशेष निवेदन
पर प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक मुकेश कुशवाह की ओर से प्रस्तुत लंबित
आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 जा.दी. में

सुमन
24/11/16
[Signature]

20
सुमन

ORDER SHEET

II-155
C.J.(E)

COURT

प्रमाण 55/15 देवहर
Of 20

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>याचिकाकर्ता द्वारा उक्त याचिका को संचालित नहीं करना व्यक्त करते हुए विथलिबर्टी वापिस किए जाने का निवेदन किया।</p> <p>जवाब में अनावेदिका श्रीमती सुमन का कहना है कि जे.एम.एफ.सी. गोहद के मौखिक आदेश से अनावेदिका, आवेदक के साथ रहने गयी थी, बाद में अनावेदिका को इलाज हेतु उसके पिता के पास छोड़ दिया। अनावेदिका, आवेदक के साथ रहना चाहती है, किन्तु आवेदक स्वयं नहीं रखना चाहता है और अपने पतिधर्म के पालन से बच रहा है। आवेदक न्यायालय में स्वच्छ हाथों से भी नहीं आया है इसलिये इस याचिका को विथलिबर्टी वापिस किए जाने की अनुमति दिया जाना न्याय संगत नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदनपत्र रिस्त किए जाने का निवेदन किया।</p> <p>प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 01 जा. दी. पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुना गया।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया, विचार किया गया। आवेदक की ओर से धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत उक्त याचिका पेश की गयी थी, वर्तमान में आवेदक के द्वारा ही उक्त याचिका को आगे संचालित नहीं रखे जाने का निवेदन किया गया है, और धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम की मंशा के अनुरूप अनावेदिका श्रीमती सुमन को अपने साथ रखने से इंकार किया है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम को आगे संचालित रखना उचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>फलतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम की याचिका आगे संचालित नहीं रखे जाने</p>	

(P.T.O.)

पी. सी. आय

द्वि. अपर जिला जज
जिला मण्डल (मप्र)

को देखते हुए निरस्त की जाती है। तदनुसार आदेश 23
नियम 01 जा.दी. का निराकरण किया गया।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(पी.सी. आय.)

पीठासीन अधिकारी, खण्डपीठ क.-20,
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

(के.सी. उपाध्याय)
(सदस्य)

खण्डपीठ क.-20
गोहद जिला भिण्ड

(के.पी. राठौर)
(सदस्य)

खण्डपीठ क.-20
गोहद जिला भिण्ड